प्राथमिकता **स्पीड पोस्ट**

अ0शा0प0सं-टी-186/दस-13/71.

नवीन भवन,
उ0प्र0 सचिवालय।
लखनऊ: दिनांक:: 17 अक्टूबर, 2018.

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, वित्त एवं सचिव,
उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज
सहायता संस्थान।

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति की दिनांक 04-10-2018 को सम्पन्न हुई बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की दरों को निम्नानुसार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 से पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

	दि0 19.07.13 से 03.10.18 तक के मामलों में (₹)	दि0 04.10.2018 से व उसके बाद के मामलों में (₹)
अनुग्रह अनुदान :-		
1- वीरगति को प्राप्त मामलों में :	6,00,000/-	10,00,000/-
2- स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में : (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	3,00,000/-	6,00,000/-

3- लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि ₹1,50,000/- से बढ़ाकर ₹2,00,000/- कर दी गयी है।

नोट : अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की धनराशि ₹10,00,000/- में से ₹4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा और ₹3,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹3,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा।

यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि ₹7,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹3,00,000/- की फिक्सड डिपाजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपाजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित है तो धनराशि ₹10,00,000/- का भुगतान चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें दिनांक 04-10-2018 से पुनरीक्षित की गयी है। दिनांक 04-10-2018 से व उसके बाद के मामलों में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान को अनुदान

....2/-

से संबंधित भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र में प्रार्थिनी/लाभार्थी एवं शहीद कर्मी के माता/पिता के नाम के साथ-साथ उनके बैंक खाता संख्या से सम्बन्धित अभिलेख को भी संलग्न कर भेजा जाना आवश्यक है। जिससे कि संस्थान द्वारा लाभार्थियों के नाम से निर्गत की जाने वाली चेक में उनके बैंक खाता संख्या का भी उल्लेख किया जा सके। संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया आवश्यकतानुसार इसकी फोटो कापी/प्रिन्ट कराने का कष्ट करें। कृपया तद्नुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें।

3- संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की लिखित जानकारी अपने विभाग के कर्मियों को भी प्राप्त करा दें, जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की जानकारी हो जाये और इससे पात्र लोग लाभान्वित हो सके। संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें एवं अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की **वेबसाइट** **http://uppafss.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

3- कृपया कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर·

भवदीय,

संलग्नक : संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र

(अजय कुमार शुक्ला)

1- **ब्रिगेडियर रवि,**
मुख्यालय मध्य कमान,
(सूर्या वेटरन सेल),
लखनऊ-226002.

2- ग्रुप कैप्टन एस0सी0 काण्डपाल (अ0प्रा0),
निदेशक,
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
करियप्पा भवन,
कैसरबाग, लखनऊ-226001.

अ0शा0प0संख्या-टी- (1)/दस-13/71 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार शुक्ला)